

सं.07/01/2018-गो-1/2 (खंड-II)
कर्मचारी चयन आयोग

विषय: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स परीक्षा में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) भर्ती परीक्षा, 2018- अंतिम परिणाम की घोषणा (केरल राज्य को छोड़कर) के संबंध में।

कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित पद्धति में दिनांक 11.02.2019 से 11.03.2019 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स परीक्षा में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) भर्ती परीक्षा, 2018का आयोजन किया था। उक्त परीक्षा में कुल 30,41,284 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी)/(शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में उपस्थित होने के लिए कुल 5,54,903 अभ्यर्थियों (महिला -77,369 और पुरुष-4,77,534) को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

2. पीईटी / पीएसटी का परिणाम दिनांक 17.12.2019 और 04.03.2020 को घोषित किया गया था जिसमें कुल 1,52,226 अभ्यर्थी (महिला-20750 और पुरुष-1,31,476) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए योग्य पाए गए। इसके अलावा, विभिन्न अदालती आदेशों के आधार पर 39 और अभ्यर्थियों को डीएमई की अनुमति दी गई। इसलिए सीएपीएफ द्वारा कुल 1,52,265 अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा परीक्षा आयोजित की गई थी। सीएपीएफ द्वारा डीएमई का आयोजन दिनांक 09.01.2020 से 13.02.2020 और 24.08.2020 से 12.09.2020 तक तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) का आयोजन दिनांक 14.09.2020 से 10.11.2020 तक किया गया। डीएमई/आरएमई के परिणाम का सारांश इस प्रकार है:

लिंग	उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया	अर्हता प्राप्त नहीं की (अनुपस्थित सहित)	अर्हता प्राप्त
महिला	20,752	4,854	15,898
पुरुष	1,31,513	37,859	93,654
कुल	1,52,265	42,713	1,09,552

3. माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 2020 की डब्लू पी (सी) संख्या 24526 और अन्य 35 संबद्ध मामलों में दिनांक 20.01.2021 के अपने आदेश के तहत याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के लिए 200 रिक्तियों को न भरने का निदेश दिया है। हालांकि, अभ्यर्थियों के लिंग, श्रेणी और क्षेत्र (नक्सल / सामान्य) जैसे विशिष्ट विवरणों को एकत्र किया जा रहा है। इन विवरणों को एकत्र करने के बाद, केरल राज्य के लिए परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा। इसलिए, केरल को छोड़कर सभी राज्यों का परिणाम प्रकाशित किया जा रहा है। जैसा कि यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए है, केरल राज्य के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित होने पर ही सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए रैंक निर्धारित की जाएगी।

4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के नाम पर उनके मूल राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से प्रवास पर उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणी में विचार किया गया है, यदि उन्होंने मूल राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ लेने के लिए चुना है। अन्यथा उन्हें परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रावधानों (पैरा-17.5) के अनुसार प्रवासी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से अनारक्षित अभ्यर्थी माना गया है।

5. आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए दिनांक 08.02.2019 के शुद्धिपत्र के अनुरूप, दिनांक 07.02.2019 की सूचना सं० 1-1/2018-नी एवं यो-1 के तहत आयोग द्वारा प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करके कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की गई है।

6. राज्य के अंतर्गत सीमावर्ती जिलों / नक्सल या उग्रवाद प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण के साथ अखिल भारतीय रिक्तियों और राज्यवार रिक्तियों के अनुसार चयन सूची तैयार की गई है। सीमावर्ती जिलों / नक्सल या उग्रवाद प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों को ऐसे क्षेत्रों में रिक्तियों के लिए या सामान्य रिक्तियों के लिए संबंधित राज्य में माना गया है, जो उनके लिए लाभकारी हो सकता है। राज्य / संघराज्य क्षेत्रों में रिक्तियों की उपलब्धता, सीमावर्ती जिले और नक्सल / उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए आरक्षण और श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता सह वरीयता के अनुसार एनआईए, एसएसएफ और सीएपीएफ को आवंटन किया गया है।

7. नियुक्ति (केरल राज्य को छोड़कर) के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणी-वार ब्योरा (1-अ.जा., 2-अ.ज.जा., 3-भू.सै., 6-अ.पि.व., एवं 9-अना.) इस प्रकार है:-

7.1 **महिला:**

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	योग
रिक्तियाँ	1518	789	2089	4842	9238#
उपलब्ध अभ्यर्थी	1231	717	1830	4325*	8103

2 रिक्तियों को न्यायालय के आदेशानुसार भरा नहीं गया है एवं अस्थाई अयोग्य अभ्यर्थियों के लिए 15 खाली रखी रिक्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

*अना. मानक पर चयनित 246-अ.जा., 398-अ.ज.जा., एवं 1881- अ.पि.व. अभ्यर्थी शामिल।

7.2 **पुरुष:**

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	योग	भू.सै.
रिक्तियाँ	8300	4772	10565	25483	49120#	5981
उपलब्ध अभ्यर्थी	7267	4471	10268	24302*	46308	172@

27 रिक्तियों को न्यायालय के आदेशानुसार खाली रखा गया और शामिल नहीं किया गया है।

*अना. मानक पर चयनित 1408-अ.जा., 730-अ.ज.जा., 11730-अ.पि.व., एवं 2-भू.सै. अभ्यर्थी शामिल।

#8-अ.जा., 3-अ.ज.जा., 72-अ.पि.व., 89-अना. अभ्यर्थी

8. विभिन्न रिक्तियों के लिए रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्योरा, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट-ऑफ अंक **अनुलग्नक-I** (महिला) एवं **अनुलग्नक-II** (पुरुष) पर दिए गए हैं।

9. **बराबरी के मामलों का निपटारा:**

अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में लिए गए सामान्यीकृत अंकों में बराबरी होने पर, ऐसे मामलों का निपटारा निम्नलिखित मापदण्डों को अपनाते हुए किया गया है, जिसे बराबरी के निपटान होने तक क्रमानुसार दिया गया है:

- (क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंक।
- (ख) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में प्राप्त अंक।
- (ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में प्राप्त अंक।
- (घ) जन्म-तिथि, अधिक उम्र वाले को ऊपर रखा जाता है।
- (ङ) नामों का क्रम (प्रथम नाम से आरंभ)

10. नियुक्तियाँ निम्नलिखित न्यायालय आदेशों के अधीन हैं:

i. डबल्यू.पी. सं. 17750/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, उड़ीशा द्वारा दिनांक-25.08.2020 का पारित आदेश.

ii. डबल्यू.पी. सं. 2472/2020 में माननीय उच्च न्यायालय,बॉम्बे,नागपूर बेंच द्वारा दिनांक-10.07.2020 का पारित आदेश.

iii. डबल्यू.पी. सं. 3051/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू एवं काश्मीर द्वारा दिनांक-26.02.2020 का पारित आदेश.

iv. डबल्यू.पी. सं. 17411/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, मध्य-प्रदेश द्वारा दिनांक-10.11.2020 के पारित आदेशानुसार, पूरी चयन प्रक्रिया में आखिरी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर हैं।

11.260 (महिला-23, पुरुष-237) अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर आगे सत्यापन की जरूरत है। जब तक की उनके अभ्यर्थिता की प्रामाणिकता की जांच नहीं हो जाती, उनके परिणाम को रोक कर रखा गया है।

12. तदनुसार, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल (सामान्य इयूटी) और असम राइफल्स में राइफल मैन (सामान्य इयूटी), परीक्षा 2018 के आधार पर एनआईए, एसएसएफ और सीएपीएफ में नियुक्ति के लिए अनंतिम रूप से पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है:

सूची-1: 8080 महिला अभ्यर्थियों की अनंतिम रूप से नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई ।

सूची-2: 46071 पुरुष अभ्यर्थियों की अनंतिम रूप से नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई।

सूची-3: 260 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रोकी गई।

13. चयन / गैर चयन/ पदों का आवंटन/ प्रयोक्ता विभाग इत्यादि के संबंध में किसी भी असंगति को एक माह के भीतर आयोग के ध्यान में लाया जा सकता है। एक माह के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे किसी भी अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

14.अगर किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे आयोग या प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिणाम घोषित होने के एक साल के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो उसे अभ्यर्थी को तत्काल प्रयोक्ता विभाग के ध्यान में जरूर लाना चाहिए।

अवर सचिव (गो-1/2)

21.01.2021